बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/प्र०वि० प्रक्षेत्र–02/06 1289 /कृ0, पटना, दिनांक 18 ,अप्रील, 2006।

संकल्प

विषय : राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की जमीन हस्तानान्तरण संबंधी नीति।

राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों का मुख्य लक्ष्य उन्नत प्रभेदों के उत्तम गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराना है और उत्पादकता बढ़ाने के सभी तरीकों को प्रत्यक्षण के माध्यम से किसानों को अवगत कराना है। इसी उद्देश्य से लगभग प्रत्येक प्रखंड में कृषि प्रक्षेत्रों की स्थापना की गयी है। विगत कुछ वर्षों में इन प्रक्षेत्रों की जमीन का सदुपयोग नहीं हो सका है। इन प्रक्षेत्रों की जमीन की मांग अन्य विभागों/प्रतिष्ठानों द्वारा की जाती रही है। सरकार के कुछ विभागों ने कतिपय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि को बिना हस्तानान्तरण कराये अनाधिकृत रूप से अपने प्रयोजन हेतु अधिग्रहण कर लिया है। कतिपय विभागों से कृषि प्रक्षेत्रों को अन्य कार्यों के लिए हस्तानान्तरित करने हेतु लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। विभाग के पास बहुत सारे हस्तानान्तरण प्रस्ताव निर्णय लेने हेतु लंबित है। सरकार का निर्णय है कि कृषि प्रक्षेत्रों पर अनाज, फल–फूल के बीज उत्पादन का कार्यक्रम विभाग तैयार करे। आगामी पाँच वर्षों में राज्य में विभिन्न फसलों के उन्नत/ हाइब्रिड प्रभेदों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए बड़े पैमाने पर बीजोत्पादन की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में कृषि प्रक्षेत्रों का एकमात्र उपयोग बीजोत्पादन के लिए ही करना उचित है तथा जनहित में प्रतीत होता है।

इन सारे तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि :–

1. बीज गुणन प्रक्षेत्रों की जमीन सामान्यतः कृषि कार्य विशेष कर बीज उत्पादन कार्य हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों को ही आबंटित या हस्तांतरित की जाएगी।

2. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को कृषि विज्ञान केन्द्र आदि की स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध करायी जाएगी। इनमें भी बीजोत्पादन कार्यक्रम चलाया जाएगा।

3. राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों को जिनकी स्थापना राज्य के हित में है, तथा जमीन की आवश्यकता तुरत हो, कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि उपलब्ध कराने पर विचार करेगी परन्तु हस्तांतरित जमीन के समतुल्य क्षेत्र कृषि प्रक्षेत्रों हेतु अन्यत्र उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे मामलों में गुण–दोष के आधार पर अलग–अलग मामलों में अलग–अलग निर्णय लिया जायेगा।

4. अति महत्वपूर्ण विशेष प्रयोजन हेतु किसी भी प्रक्षेत्र को हस्तानान्तरित करने की कार्रवाई सरकार विशेष परिस्थिति में करेगी।

5. बिहार के अन्य विभागों/जिला प्रशासन को इन प्रक्षेत्रों पर भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।

6. स्वयं सेवी संस्थाओं/निजी व्यक्तियों को किसी भी कार्य हेतु जमीन उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।

7. ऐसे प्रक्षेत्रों की जमीन जो शहरी आबादी क्षेत्र में आ गई हैं, उनके बेहतर वैकल्पिक उपयोग के आधार पर हस्तानान्तरण के मामलों पर विचार किया जा सकेगा। परंतु इन मामलों में भी समतुल्य मूल्य की भूमि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

8. कुछ ऐसे कृषि प्रक्षेत्र भी हो सकते हैं जिन की आवश्यकता निकटवर्त्ती उद्योग की स्थापना/विस्तार के लिए हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अन्य विकल्प उद्योग स्थापना/विस्तार के लिए नहीं है तो उसे कृषि प्रक्षेत्र की भूमि को बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

9. सरकार का कोई विभाग राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की जमीन को अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण नहीं करेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 100 प्रतिं इस विभाग को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(अशोक कु0 सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक अप्रील, 2006।

प्रतिलिपि : सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1284 /कृ0, पटना, दिनांक 18 अप्रील, 2006।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.06
कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।